

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/ 2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Kais

Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 8 of the Punjab Wild Birds and Wild Animals Protection Act 1933, was issued by the Punjab Government vide Notification No. 70 GP 53/97 dated 28-02-1954 to declare **Kais as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 13.65 sq. km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Kais Wildlife Sanctuary, the actual area on ground has been found 12.61 sq. km. This area of 12.61 sq. km shall now constitute Kais Wildlife Sanctuary after the rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the said Act is pleased to declare the said area of 12.61 sq. km of Kais as '**Kais Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of Kais Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Kais Wildlife Sanctuary.
1.	Kais	i) Kullu ii) Kullu WL Division	<p>NORTH: From Bastak Thach along demarcated line separating 2/32 Mati Kochhar and 2/27 Padhra Rias and 2/26 Marhauri and Kais nalla upto Janiyal Thach.</p> <p>EAST: From Janiyal Thach along Ridge separating catchment of Beas and Parvati rivers then Rumtu dhar upto Jalada Thach point 3481 mtr.</p> <p>SOUTH: From Jalada Thach point 3481 mtr. on the ridge separating Matikochhar PF and Pinsu PF boundary and 2/32 Matikochhar CVI b,CV and spur descending from Dhara to Kais nalla upto peak at origin of nalla flowing to Beas River.</p> <p>WEST: Along forest boundary Matikochhar and nalla downstream upto turning point to west on nalla along forest boundary and to Rauns Thach and forest boundary Matikochhar and then along road upto Bastak Thach.</p>

This area is situated within the Geo-co-ordinates **North** (Lat 32°03'10" Long 77°12'32"), **East** (Lat 32° 02'42" Long 77° 12'32"), **South** (Lat La 31° 59'38" Long 77° 10'17"), and **West** (Lat 32° 00'23" Long 77° 09'19" which falls on Survey of India topo sheet No 53 E/1 and 52H/4 scale 1:50:000.

Area of Kais Wildlife Sanctuary=12.61 sq. km

By Order


Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II काइस तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

पंजाब सरकार ने अधिसूचना संख्या 70 जी.पी. 53/97 तारीख 28-2-1954 द्वारा पंजाब वाइल्ड बर्ड्स एण्ड वाइल्ड एनिमलस प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1933 की धारा 8 के अधीन 13.65 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र काइस को वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए सं0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और काइस वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप मौके पर भू-क्षेत्र 12.61 वर्ग किलोमीटर पाया गया है । युक्तिकरण के पश्चात् 12.61 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र से काइस वन्य जीव अभ्यारण्य गठित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 12.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से काइस वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं।

काइस वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	काइस वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	काइस	i) कुल्लू ii) वन्य प्राणी मण्डल, कुल्लू	<p>उत्तर: बासकट थाच से 2/32 माटी काछर व 2/27 पधरा राइज और 2/26 मराऔरी व काइस नाला की सीमांकित रेखा के साथ साथ जनीयाल थाच तक ।</p> <p>पूर्व: जनीयाल थाच से ब्यास व पार्वती नदी के जलग्रह क्षेत्र की धार के साथ साथ रुमटू धार से होती हुई जलाड़ा थाच बिन्दु 3481 मी0 तक ।</p> <p>दक्षिण : जलाड़ा थाच बिन्दु 3481 मी0 से माटीकोछर व पिन्सू संरक्षित वन क्षेत्र और 2/32 माटीकोछर अनुभाग 6 बी, अनुभाग 5 की सीमाओं को विभाजित करती हुई धार पर व फिर धार पर नीचे की ओर धारा से काइस नाला से ब्यास नदी में बहते हुए नाले की चोटी तक ।</p> <p>पश्चिम : फिर माटीकोछर वन की सीमाओं के साथ-साथ और वन सीमा के साथ जाते हुए नाले में नीचे की ओर नाले के पश्चिम की ओर मुड़ने के बिन्दु तक, और रियून थाच, माटीकोछर की वन सीमा के साथ और सड़क के साथ-साथ बासकट थाच तक ।</p>

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश 32° 03' 10" उत्तर और देशान्तर 77° 12' 32" पूर्व । पूर्व अक्षांश 32° 02' 42" उत्तर और देशान्तर 77° 12' 32" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 31° 59' 38" उत्तर और देशान्तर 77° 10' 17" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 32° 00' 23" उत्तर और देशान्तर 77° 09' 19" पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ई/1 और 52एच/4, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफल : 12.61 वर्ग कि० मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।